कार्यालय प्रधान जिला एवम् सत्र न्यायधीश,

उत्तर व उत्तर पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

न०. 40873 – 41023 /हिन्दी विभाग/उत्तर/ उत्तर-पश्चिम/रोहिणी/2026 दिनांक 10/09/26

संदेश

हिन्दी दिवस

"हम भारतीय सभी भाषाओं का करते हैं सम्मान, पर हिंदी ही है हमारी पहचान।"
रोहिणी जिला न्यायालय, दिल्ली के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को
हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

सम्पूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोनें का कार्य अगर किसी ने किया है तो वह है हमारी राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी को 14 सितम्बर, 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। उसी दिन से हर साल 14 सितम्बर को भारत वर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारी आधिकारिक भाषा हिंदी को सम्मान देने के लिए हर साल 14 सितम्बर को भारत वर्ष में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस समारोह के माध्यम से हिंदी भाषा के महत्व पर जोर दिया जाता है। इस दिन आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ लोगों को हिंदी भाषा के करीब लाने और उन्हें इसका महत्व और सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। यह लोगों को हिन्दी भाषा की समृद्धि के साथ–साथ हमारे ऐतिहासिक अतीत से परिचित कराने का एक तरीका है।

आइए, हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार व इसके विकास के प्रति स्वंय को समर्पित करें एवं अपने दैनिक सरकारी कामकाज तथा बोलचाल में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।

अन्त में, हम यही कहेंगेः–

हिन्दी हमारी शान है, हिन्दुस्तान की पहचान है।
एकता का है यह धागा, देश की हर जुबान पर उसका मान है।

(संजय शर्मा–II)
कार्यवाहक विद्वत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(उत्तर–पश्चिम), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

(प्रेम कुमार बर्थवाल)
विद्वत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

उत्तर व उत्तर–पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

संख्या 40873-41023 रा.भा.अनुभाग हिन्दी/उ०/उ-प/रोहिणी/2026 दिल्ली, दिनांक 10/09/26

उपर्युक्त संदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है -

1. विद्वत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्यालय, तीस हजारी न्यायालय,, दिल्ली।
2. विद्वत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
3. माननीय अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वियन समिति, मुख्यालय, तीस हजारी, दिल्ली।
4. समस्त विद्वत न्यायिक अधिकारी, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
5. विद्वत प्रधान परिवार न्यायालय, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
6. विद्वान प्रभारी न्यायाधीश, मध्यस्थता केन्द्र, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
7. वि. सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
8. निजी सचिव, विद्वत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
9. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
10. सभी अनुभाग प्रभारी, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
11. लेयर्स सीट, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
12. वेबसाइट समिति, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली। (जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय दिल्ली की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें)

नोटः- कृप्या अपने नियंत्रणाधीन व अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को उक्त संदेश से अवगत करवाएँ।

नोडल अधिकारी,
राजभाषा अनुभाग,
जिला उत्तर,
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

लिंक नोडल अधिकारी,
राजभाषा अनुभाग,
जिला उत्तर-पश्चिम,
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली